UPMO010031042026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मुरादाबाद।

<u>जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–857/2026</u>

अभिषेक उम्र लगभग 23 वर्ष पुत्र अरविन्द सिंह, निवासी ग्राम पल्लूपुरा घोसी, थाना पाकबड़ा, जिला मुरादाबाद।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य।

मुकदमा अपराध संख्या–51/2026,
धारा–109(1), 126(2), 115(2), 304(2), 351(3), 317(2), 3(5) बी0 एन 0 एस 0
थाना–पाकबड़ा, जिला–मुरादाबाद।

<u>25.03.2026</u>

1– प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र, प्रार्थी/अभियुक्त अभिषेक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–51/2026, अन्तर्गत धारा–109(1), 126(2), 115(2), 304(2), 351(3), 317(2), 3(5) बी0 एन 0 एस 0, थाना पाकबड़ा, जिला मुरादाबाद के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया है।

2– जमानत प्रार्थनापत्र में प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा यह कथन किया गया है कि, अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है, अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र किसी भी न्यायालय में अथवा माननीय उच्च न्यायालय, प्रयागराज में विचाराधीन नहीं है।

3– संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि, वादी मुकदमा सुमित कुमार द्वारा एक लिखित तहरीर सम्बन्धित थाने पर दिनांक 12.03.2026 को इस आशय की प्रस्तुत की गयी कि, वादी सुमित कुमार पुत्र ओमपाल सिंह, ग्राम अखा थाना बिसारतगंज जनपद बरेली का रहने वाला है। दिनांक 12.03.2026 को वह अपनी मोटरसाईकिल स्पेलण्डर प्लस नं0–UP 25DY 5378 से अपने गांव के ही रवि पुत्र डालचन्द्र, जो मोटरसाईकिल स्पेलैण्डर प्लस नं0–UP 25DL 3015 शिवम पाल पुत्र चन्द्रपाल, जो अपनी मोटरसाईकिल स्पलैण्डर प्लस नं0–UP 25EM4303 से अपने घर से अपनी मोटरसाईकिल पर नौकरी की तलाश में नोएडा जा रहे थे। रात्रि में करीब 01:00 बजे वह तीनों लोग टीएमयू अस्पताल के

Digitally signed by Jitendra Singh
Date: 2026.03.25 14:41:59 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

सामने नजर ढ़ाबे पर चाय पीने के लिए रुके थे। होटल पर उन तीनों ने चाय पी तथा साथ लाया हुआ खाना खाया। खाना खाने के बाद जब वह तीनों लोग अपनी अपनी मोटरसाईकिलों से नजर ढ़ाबे से करीब 200 मीटर आगे सर्विस रोड पर अमरोहा की तरफ चले ही थे कि पीछे से एक काले रंग की मोटरसाईकिल एवं एक लाल रंग की अपाचे मोटरसाईकिल पर कुछ लड़के आये और उन तीनों को घेर लिया और तीनों पर उनमें से एक लड़के ने तमंचा निकालकर वादी के ऊपर जाने से मारने की नीयत से फायर कर दिया, जिससे वह बाल बाल बच गया और उन तीनों को बुरी तरह डर गये, उनमें से कुछ लड़कों ने वादी के साथियों के लात घूसों से मारपीट की और कहने लगे कि जो भी तुम्हारे पास है, निकाल कर चुपचाप दो। उसके साथी रवि से उसका पर्स, जिसमें चार हजार पाँच सौ रुपये व उसका डीएल, एटीएम कार्ड, पैन कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आधार कार्ड थे व उसका नीला रंग का बैग, जिसमें उसके कपड़े थे तथा दूसरे साथी शिवम पाल से उसका पर्स, जिसमें पांच हजार रुपये थे तथा उसका चाकलेटी रंग का बैग, जिसमें उसके कपड़े थे तथा उसका मोबाईल फोन OPPO A79 सिम जियो नं0– 9528178939 रंग ग्लोइंग ग्रीन IMEI No 865883066125199 व 865883066125181 के साथ छीन लिया और अपनी मोटरसाईकिलों के साथ जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये, जिनमें दो ने सफेद रंग की शर्ट पहन रखी थी, शरीर से दुबले पतले थे, एक ही हाईट कम थी, दाड़ी मूछ थी तथा दूसरे की हाईट लम्बी थी, उसकी सफेद रंग शर्ट पर पीछे कुछ लिखा हुआ था तथा एक ने काले रंग की शर्ट पहन रखी थी, दाड़ी मूछ थी। वादी की उक्त तहरीर के आधार पर सम्बन्धित थाने पर उक्त मुकदमा 109(1), 126(2), 115(2), 304(2), 351(3) बी0 एन 0 एस 0 के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया।

4– प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र में मूल तर्क यह लिये गये हैं कि, प्रार्थी/अभियुक्त को मुकदमा उपरोक्त में रंजिश की बिनाह पर झूठा फंसाया गया है, वह निर्दोष है, उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से लिखाई गई है, विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। प्रार्थी से कोई बरामदगी नहीं हुई है, जो भी बरामदगी मात्र 1500/– रुपये की दर्शायी गयी है, वह फर्जी तरीके से पुलिस के द्वारा दर्शायी गयी है। घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है, समस्त साक्षीगण पुलिस कर्मचारी हैं। प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, न ही वह सजायाफ्ता है। वह नामजद अभियुक्त नहीं है। वह दिनांक 12.03.2026 से जिला कारागार मुरादाबाद में निरुद्ध है। प्रार्थी को

थाना हाजा की पुलिस ने पूछताछ के बहाने थाने बुलाकर उपरोक्त मुकदमें में प्रकाश में आया दिखाकर चालान कर दिया तथा उसकी काले रंग की मोटरसाईकिल स्पलैण्डर नं0–UP 21DC 0661 व एक मोबाईल चार्जर वीवो कम्पनी का तथा एक मोबाईल फोन रंग काला नथकिंग ओ.एस.–40, जो प्रार्थी का सामान है, पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। उपरोक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

5– विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि, अभियुक्त ने अन्य सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा व उसके साथियों को घेरकर, उनके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की नीयत से फायर किया तथा वादी मुकदमा एवं उसके साथियों से उनके पर्स आदि छीन लिये। अपराध गंभीर प्रकृति का है। जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

6– जमानत प्रार्थना–पत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्को को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

7– पत्रावली के अवलोकन से प्रथम दृष्टया विदित है कि, प्रार्थी/अभियुक्त तहरीर प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नहीं है। तहरीर में वर्णित कथनानुसार दिनांक 12.03.2026 को वादी व उसके साथी अपनी–अपनी मोटरसाईकिलों से नौकरी की तलाश में नोएडा जा रहे थे। रात्रि में करीब 01:00 बजे वह तीनों लोग टीएमयू अस्पताल के सामने नजर ढ़ाबे पर चाय पीने के लिए रुके थे। जब वह तीनों लोग अपनी अपनी मोटरसाईकिलों से नजर ढ़ाबे से करीब 200 मीटर आगे सर्विस रोड पर अमरोहा की तरफ चले ही थे कि पीछे से एक काले रंग की मोटरसाईकिल एवं एक लाल रंग की अपाचे मोटरसाईकिल पर कुछ लड़के आये और उन तीनों को घेर लिया और तीनों पर उनमें से एक लड़के ने तमंचा निकालकर वादी के ऊपर जाने से मारने की नीयत से फायर कर दिया, जिससे वह बाल बाल बच गया और कुछ लड़कों ने वादी के साथियों के लात घूसों से मारपीट की और उसके साथी रवि से उसका पर्स, जिसमें चार हजार पाँच सौ रुपये व उसका डीएल, एटीएम कार्ड, पैन कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आधार कार्ड थे व उसका नीला रंग का बैग, जिसमें उसके कपड़े थे तथा दूसरे साथी शिवम पाल से उसका पर्स, जिसमें पांच हजार रुपये थे तथा उसका चाकलेटी रंग का बैग, जिसमें उसके कपड़े थे तथा उसका मोबाईल फोन OPPO A79 छीन लिया और अपनी मोटरसाईकिलों के साथ जान

से मारने की धमकी देते हुए भाग गये। पत्रावली के अवलोकन से यह परिलक्षित होता है कि प्रश्नगत घटना में किसी को भी आग्नेयास्त्र की कोई चोट कारित नहीं हुई है। फर्द बरामदगी में प्रार्थी/अभियुक्त के पास से 1500/– रुपये बरामद होना बताया गया है, परन्तु बरामदगी का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 12.03.2026 से जिला कारागार में निरुद्ध है। अभियोजन की ओर से प्रार्थी/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है।

8– अतः मामले के तथ्यों परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुण–दोष पर बिना राय व्यक्त किये हुए प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त अभिषेक द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र, मुकदमा अपराध संख्या–51/2026, अन्तर्गत धारा–109(1), 126(2), 115(2), 304(2), 351(3), 317(2), 3(5) बी0 एन 0 एस 0, थाना पाकबड़ा, जिला मुरादाबाद, स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त को मुबिलग–75,000/– रूपये (पचहत्तर हजार रूपये) का स्वबंधनामा तथा समान राशि की दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्न शर्तो के अधीन जमानत पर रिहा किया जाये।

(i)– प्रार्थी/अभियुक्त मामले के साक्षियों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगा या उन पर कोई दबाव डालने का प्रयास इत्यादि नहीं करेगा।

(ii)– प्रार्थी/अभियुक्त विचारण के दौरान न्यायालय में अपनी व्यक्तिगत उपस्थिति सुनिश्चित करेगा।

(iii)– प्रार्थी/अभियुक्त अभियोजन साक्ष्य नष्ट नहीं करेगा।

(iv)– माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के परिपत्र पत्रांक 19/एडमिन–जी–2 दिनांकित 03.07.2017 इलाहाबाद के अंतर्गत आपराधिक अपील सं0 2407/1986 सुखदेव बनाम सरकार में पारित निर्देश दिनांकित 17.12.2016 के तहत प्रार्थी/अभियुक्त के जमानतनामें स्वीकृत करते समय प्रतिभुओं के स्थायी व अस्थायी पता विवरण के साथ प्रतिभुओं के शिनाख्ती प्रपत्र भी पृथक से दाखिल किया जावेगा।

स्टेनो-अंकित कुमार

(जितेन्द्र सिंह–II)
कृते सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम),
कोर्ट नं0–01, मुरादाबाद।
I.D. No.–UP6496